

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़

सेक्टर-19 नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर अटल नगर छ.ग.

क्रमांक/01-143/एम.आर./2026/784 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23/07/2026
प्रति,

**सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक
जिला -रायपुर छ.ग.।**

- विषय :-** नवा रायपुर स्थित कार्यालयों में कार्यरत शासकीय सेवकों के मेडिकल बिल पारित करने हेतु चिकित्सक को अधिकृत किए जाने के संबंध में।
- संदर्भ :-** प्रांतीय संयोजक एवं प्रदेश अध्यक्ष-(कमल वर्मा) छ.ग. राजपत्रित अधिकारी संघ छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन कार्यालय-प्लॉट नं. ओ/6, दुबे कॉलोनी मोवा रायपुर छ.ग. का पत्र क्रमांक/छ.ग.क.अ.फे./768 रायपुर दिनांक 28.01.2026 एवं प्रांताध्यक्ष संजय सिंह छत्तीसगढ़ लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ प्रांतीय कार्यालय संजय नगर रोड टिकरापारा रायपुर छ.ग. से प्राप्त पत्र क्रमांक/संघ/71 रायपुर दिनांक 16.02.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से कर्मचारी संघों के मांग पर नवा रायपुर स्थित समस्त कार्यालयों से प्राप्त चिकित्सा देयक (बिल) को एकजाई कर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय रायपुर को प्रतिहस्ताक्षर हेतु भेजने एक काउन्टर संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें में स्थापित किया गया है।

अवगत हों कि इस कार्यालय द्वारा केवल संबंधित से नियमानुसार देयक प्राप्त कर एकजाई रूप से निश्चित दिवस में प्रतिहस्ताक्षर हेतु सिविल सर्जन कार्यालय में जमा कर पावती लिया जावेगा एवं शेष कार्यवाही यथावत रहेगी, तदनुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
SANJEEV KUMAR JHA
Date: 22-07-2026
10:53:19

**आयुक्त सह संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़**

पू.क्रमांक/01-143/एम.आर./2026/785 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23/07/2026
प्रतिलिपि:-

1. प्रांतीय संयोजक एवं प्रदेश अध्यक्ष-(कमल वर्मा) छ.ग. राजपत्रित अधिकारी संघ छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन कार्यालय-प्लॉट नं. ओ/6, दुबे कॉलोनी मोवा रायपुर छ.ग. की ओर उपरोक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ। अवगत हों कि किसी भी अधिकारी कर्मचारी का चिकित्सा देयक कहीं गुम हो जाता है तो इस कार्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी।
2. प्रांताध्यक्ष संजय सिंह छत्तीसगढ़ लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ प्रांतीय कार्यालय संजय नगर रोड टिकरापारा रायपुर छ.ग. की ओर उपरोक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ। अवगत हों कि किसी भी अधिकारी कर्मचारी का चिकित्सा देयक कहीं गुम हो जाता है तो इस कार्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी।

**आयुक्त सह संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़**